राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/5961-86 जयपुर दिनांक 26-5-17

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, चूरू,
जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर,
पाली, राजसमंद एवं उदयपुर (राज0)।

विषयः— अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में दिशा—निर्देश।

प्रसंगः— इस विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 5(1) आ.प्र. एवं स.आ./गौशाला/2017/4804—29 दिनांक 01.05.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अभाव संवत् 2073 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त जिलों में अवस्थित पंजीकृत गौशालाओं के पशुओं को राहत सहायता स्वीकृत करने के संबंध में जारी दिशा—निर्देशों दिनांक 01.05.2017 के क्रम में, पंजीकृत गौशालाओं को राहत सहायता की समयावधि 30 दिवस उपरांत बढ़ाकर 30 जून, 2017 तक के लिए की जाती है। जिन गौशालाओं को राहत सहायता की अवधि बढ़ाई जाने की स्वीकृति आवश्यकतानुसार जारी की जानी है, उनके सम्बन्ध में नवीन स्वीकृति जिला कलेक्टर द्वारा पूर्व में जारी स्वीकृति सम्बन्धी आदेश में प्रथम स्वीकृति की 30 दिवस की अवधि समाप्त होने की अगली तिथि को अपने स्तर पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी की जावेगी।

उदाहरणार्थ : जिला कलेक्टर द्वारा किसी गौशाला को प्रथम 30 दिवस की अवधि की स्वीकृति यदि दिनांक 10.5.2017 को जारी की गई हो तो इसकी अवधि बढ़ाई जाने की आवश्यकता होने पर नवीन स्वीकृति सॉफ्टवेयर के माध्यम से 30 दिवस पश्चात् अर्थात् 09.6.2017 को ही जारी की जावे। साथ ही 09.6.2017 को जारी की जाने वाली स्वीकृति 30.6.2017 तक के लिए जारी करें।

भवदीय

26/5/17

शासन सचिव

प्रतिलिपि— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री महोदया, राज0, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, गोपालन विभाग राज. जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
8. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
9. निजी सचिव, सम्बन्धित जिलों के प्रभारी सचिव।
10. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
11. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
12. प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
13. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव